



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, शेखपुरा।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या:— 04/2026—27

- विज्ञापन दाता का नाम, पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा।
- परिमाण विपत्र की बिक्री हेतु आवेदन जमा करने की तिथि एवं समय :- दिनांक:—02/07/2026 के 1:00 बजे अपराह्न तक।
- जाँचोपरान्त परिमाण—विपत्र निर्गत करने की तिथि एवं समय :- दिनांक:—02/07/2026 के 5:00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक:—03/07/2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक:—03/07/2026 को 3:30 बजे अपराह्न से।
- परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :- 1. अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुंगेर।
2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा।
3. सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं0—01 एवं 02 शेखपुरा।
- निविदा प्राप्ति का स्थान :- क्र सं0—06 में वर्णित स्थानों पर।
- कार्य का विवरण :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रघन की राशि (2%) (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपये में)	कार्य अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	शेखपुरा जिलान्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्यालय भवन, शेखपुरा का मरम्मत कार्य, वर्ष 2026—27	14,83,400.00	29,700.00	2,500.00	01 माह
2.	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के आवासीय परिसर के विशेष मरम्मत एवं रंग—रोगन का कार्य, वर्ष 2026—27	13,71,800.00	27,500.00	2,500.00	01 माह
3.	शेखपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड कार्यालय, घाटकुसुम्मा के प्रशासनिक भवन में पेयजल की उपलब्धता का कार्य, वर्ष 2026—27	3,25,490.00	6,600.00	750.00	15 दिन

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, शेखपुरा

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No.006379 (BCD) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, शेखपुरा।

E-mail Id:-ee.sheikhpura.bcd@gmail.com

पत्रांक:- 900(3730)/ दिनांक:- 22/06/2026/

प्रेषक,

ई0 विकास कुमार
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, शेखपुरा।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-
महाशय,

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या:-04/2026-27 के प्रकाशन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या:-04/2026-27 का भवन प्रमंडल, शेखपुरा को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निविदा सूचना को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

अनु0:- अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या:-04/2026-27

विश्वासभाजन


22/06/26

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, शेखपुरा।


22/06/26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, शेखपुरा।
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या:- 04/2026-27

- विज्ञापन दाता का नाम, पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा।
- परिमाण विपत्र की बिक्री हेतु आवेदन जमा करने की तिथि एवं समय :- दिनांक:-02/07/2026 के 1:00 बजे अपराह्न तक।
- जॉचोपरान्त परिमाण-विपत्र निर्गत करने की तिथि एवं समय :- दिनांक:-02/07/2026 के 5:00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक:-03/07/2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक:-03/07/2026 को 3:30 बजे अपराह्न से।
- परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :-
 - अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुंगेर।
 - कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा।
 - सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं0-01 एवं 02 शेखपुरा।
- निविदा प्राप्ति का स्थान :- क्र सं0-06 में वर्णित स्थानों पर।
- कार्य का विवरण :-

क्र0 स0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	अग्रधन की राशि (2%) (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रुपये में)	कार्य अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	शेखपुरा जिलान्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्यालय भवन, शेखपुरा का मरम्मत कार्य, वर्ष 2026-27	14,83,400.00	29,700.00	2,500.00	01 माह
2.	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के आवासीय परिसर के विशेष मरम्मत एवं रंग-सोगन का कार्य, वर्ष 2026-27	13,71,800.00	27,500.00	2,500.00	01 माह
3.	शेखपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड कार्यालय, घाटकुसुम्भा के प्रशासनिक भवन में पेयजल की उपलब्धता का कार्य, वर्ष 2026-27	3,25,490.00	6,600.00	750.00	15 दिन

- बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग, शेखपुरा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (संशोधित) एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के संशोधित नियम 159 (क) के अन्तर्गत स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में शेखपुरा जिला के लिए निबंधित संवेदकों से मुहरबंद लिफाफे में क्रमांक-8 में वर्णित योजनाओं (15 लाख तक के असेनिक निर्माण कार्य) हेतु निविदा आमंत्रित है।
- निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हें हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
- सभी संवेदकों/निविदाकारों को परिमाण विपत्र क्रय करने हेतु परिमाण विपत्र के मूल्य के समतुल्य राशि सरकार के संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक:-10840 (भ0), दिनांक:-13.12.2019 के आलोक में (O-Gras) पोर्टल (<https://e-receipt.bihar.gov.in>) के E-Payment/Payment over the bank counter (Cash/Cheque) के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा के पदनाम से भुगतान चालान जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
- परिमाण विपत्र क्रय हेतु संवेदक स्वयं अथवा उनके द्वारा फोटोयुक्त प्राधिकृत व्यक्ति का पहचान पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित रजिस्ट्रेशन, अध्ययन चरित्र प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- वैसे संवेदक जिनके पास कार्य लंबित है उन्हें परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
- मुहरबंद लिफाफे में निविदा के साथ संवेदक को अग्रधन की राशि निबंधन प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, अध्ययन चरित्र प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 सफाया प्रमाण-पत्र एवं बिहार सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कागजात की स्व हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक गुप के लिए अलग-अलग शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- अग्रधन की राशि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा के नाम से निविदा प्रकाशन के उपरान्त विधिवत प्रतिज्ञित एवं निविदा प्राप्ति की तिथि से कम से कम छह महीनों के लिए विधिमानी, (1) बिहार राज्य के अन्दर निर्गत, अध्ययन निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र अथवा (2) डाकघर 1/2/3 वर्षीय सावधि जमा अथवा (3) बिहार राज्य के अन्दर निर्गत किसान विकास पत्र (4) राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत 1/2/3 वर्षीय सावधि जमा के रूप में होना चाहिए। अग्रधन की राशि मूलरूप में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा के कार्यालय में निविदा खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

16. शेखपुरा जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग के चतुर्थ श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा देने हेतु सक्षम होंगे। वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित होंगे जो (Debar) है, इस आशय का शपथ पत्र मूल में देना होगा।
17. निविदा की अन्य विशेष शर्तें निविदा पत्र के साथ संलग्न होंगी, जो निविदाकार को मान्य होगा।
18. निविदा का निष्पादन निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा की विशेष शर्तों, जो परिमाण विपत्र के साथ संलग्न रहेगा, लोक निर्माण संहिता एवं सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार किया जायेगा, जो निविदा दाताओं को मान्य होगा।
19. बिना कारण बताये इस निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द/स्थगित करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को ससुरक्षित है।
20. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही कराये गये कार्य का भुगतान किया जायेगा।
21. विशेष जानकारी हेतु अद्योहस्ताक्षरी से उनके कार्यालय में कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
22. एफ-18 एकरारनामा का क्लाउज-23 विलोपित माना जायेगा।
23. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक:-5768(भ0) पटना, दिनांक:-18.07.2023 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक:-06.07.2023 को सुनवाई के उपरांत पारित न्यायादेश में वादी द्वारा दायर Writ याचिका को Dismissed कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना सं0-447 (S)-सह-पठित ज्ञापांक:-448 (S), दिनांक:-16.01.2020 एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक:-566 (भ0), दिनांक:-17.01.2020 में निहित शर्त इस निविदा में प्रमावी होंगे। सिड्यूल दर से कम दर उद्धृत करने पर बैंक गारंटी के रूप अतिरिक्त जमानत की राशि निम्न प्रकार भी जमा करना होगा अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेगी:-
 - (a) परिमाण विपत्र दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले प्रस्ताव के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
 - (b) परिमाण विपत्र दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले प्रस्ताव के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
 - (c) परिमाण विपत्र दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले प्रस्ताव के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
 - (d) परिमाण विपत्र दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर वाले प्रस्ताव के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
24. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लिए कोष के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जाएगा।
25. सशर्त अथवा अस्पष्ट निविदा अमान्य होगा।
26. परिमाण-विपत्र की राशि गणितीय गणना में स्वीकृति पश्चात् घट/बढ़ सकती है।
27. मूल कार्य की डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड तीन वर्ष का होगा जबकि विशेष मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य का डिफेक्ट लाइबिलिटी एक वर्ष का होगा। अग्रघन एवं जमानत की राशि डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड के उपरान्त ही लौटाई जायेगी।
28. विस्तृत जानकारी एवं शर्तों के लिए वेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर देखें।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, शेखपुरा।

22/06/26